प्रेस नोट

दिनांक 01.11.2026

जनपद मऊ।

यातायात माह नवंबर–2026 का भव्य शुभारंभ, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मऊ ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना एवं दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किया गया –

आज दिनांक 01 नवंबर 2026 को जनपद मऊ में यातायात माह नवंबर–2026 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी मऊ श्री आन्दन वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

कार्यक्रम के दौरान आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हेलमेट का वितरण भी किया गया तथा हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की गई।

अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना तथा नशे की हालत में वाहन न चलाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

जागरूकता रैली के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन, सुरक्षित वाहन संचालन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।

यातायात माह नवंबर–2026 के दौरान जनपद में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई के माध्यम से सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मऊ पुलिस की अपील: यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा महिलाओं बलिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरुक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।"""

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एव गांवो में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मिशन शक्ति 6.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी, जिसमें 07 मामलों पेश हुए, सभी में अगली तारिख दी गयी।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में आज दिनांक 01.11.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 07 मामले आये, सभी मामलें में अगली तारीख दी गयी है।

परिवार परामर्श समिति की बैठक में उ0नि0 इन्द्रभूषण पांडेय, महिला आरक्षी पूनम पाल, महिला आरक्षी राजलक्ष्मी, महिला आरक्षी करिश्मा उपस्थित रहे।

***जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 54,000/- (चौवन हजार रुपये) पीड़ित को वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 01.11.2026 को पीड़ितो के खाते से यूपीआई के माध्यम से अकेड़मी में एडमिशन कराने के नाम पर फ्राड की गयी कुल धनराशि- 54,000/- रूपये (चौवन हजार रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित/अवेदक अंगेश शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा निवासी कटिहारी थाना घोसी जनपद मऊ का कुल धनराशि- 54,000/- रुपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

अवैध पटाखों का भंडारण कर बेचने वाले, 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 प्रकार के पटाखो कुल 102 डिब्बो में अवैध पटाखे (जिसकी अनुमानित कीमत- 3,20,000/- रूपये) बरामद।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2026 को समय 18.00 बजे मुखबिर की खास सूचना पर अवैध पटाखा के भण्डारण के सम्बन्ध में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा बड़ागाँव में अभियुक्त अब्बास पुत्र स्व0 सरवर बक्श निवासी बड़ागाव थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 11 प्रकार के पटाखो कुल 102 डिब्बो में अवैध पटाखे (जिसकी अनुमानित कीमत– 3,20,000 /- रूपये) बरामद किया गया, । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना घोसी पर मु0अ0सं0- 445/26 धारा- 288 बीएनएस (BNS) एवं 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0- 445/26 धारा- 288 बीएनएस (BNS) एवं 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अब्बास पुत्र स्व0 सरवर बक्श निवासी बड़ागाव थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 01.11.2026 समय 18.00 बजे

स्थान – कस्बा बड़ागाँव थाना घोसी।

बरामदगी का विवरण

11 प्रकार के पटाखो कुल 102 डिब्बो में अवैध पटाखे बरामद।

जिसकी अनुमानित कीमत – 3,20,000 /- रूपये(तीन लाख बीस हजार रूपये)